न्यायालयः अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, धौलपुर

पीठासीन अधिकारी - राकेश गोयल, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
(अतिरिक्त कार्यभार)

सेशन प्रकरण संख्या- 73/24
सी.आई.एस. नम्बर- 73/24

राजस्थान राज्य-

अभियोगी

बनाम

1. रामभरत पुत्र यशपाल निवासी गांव देवखेडा पुलिस थाना राजाखेडा जिला धौलपुर

अभियुक्त

अपराध आरोप अंतर्गत धारा 3/25(6), 5/25, 3/25(1-बी)(ए) आर्म्स एक्ट

उपस्थितः-

1. श्री मुकेश सिकरवार, विद्वान अपर लोक अभियोजक, वास्ते राज्य
2. श्री दाउदयाल शर्मा, विद्वान अधिवक्ता, वास्ते अभियुक्त

नि र्ण य **दिनाँक : 13.04.2026**

1. हस्तगत प्रकरण श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, धौलपुर के समक्ष कमिट होकर प्राप्त हुआ था, जो इस न्यायालय को विचारण हेतु श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय धौलपुर के आदेशानुसार अंतरित होकर प्राप्त हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर विचारण आरंभ किया गया ।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 14.05.24 को परिवादी वीरसिंह पुलिस निरीक्षक द्वारा एक रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर दौराने नाकाबंदी समय करीब 02.30 पीएम पर चंबल नदी के दूसरे छोर से होलापुरा गांव की ओर से एक नाव आती दिखाई दी जिसमें एक शख्स मुखबिर के बताये हुलिये का दिखाई दिया, नाव को रोककर उक्त शख्स की तलाशी ली तो उसके पेंट की दाहिनी आंट में एक देशी कट्टा 315 बोर व पेंट के पीछे की बायीं जेब में एक कारतूस 315 बोर मिला । नाम पूछने पर अपना नाम रामभरत होना बताया तथा अपने पास कोई लाइसेंस व परमिशन नहीं होना बताया, ...इत्यादि ।

3. उक्त रिपोर्ट पर बाद जांच थाना राजाखेडा धौलपुर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 139/24 अंतर्गत धारा 3/25(6), 5/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया तथा बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरुद्ध चार्जशीट अंतर्गत धारा 3/25(6), 5/25, 3/25(1-बी)(ए) आर्म्स एक्ट में विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजाखेडा, धौलपुर में पेश की गई, जिस पर उनके द्वारा उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया गया तथा प्रकरण सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से कमिट किया गया।

4. बहस चार्ज सुनी गई। अभियुक्त को अपराध अन्र्तगत धारा 3/25(6), 5/25, 3/25(1-बी)(ए) आर्म्स एक्ट के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त ने आरोप सुन व समझकर अस्वीकार किये तथा अन्वीक्षा चाही।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से आरोप के समर्थन में गवाह पी.ड. 1 वीरसिंह, पी.ड. 2 पूरनमल, पी.ड. 3 सतीशचंद्र, पी.ड. 4 रामरूप, पी.ड. 5 ताराचंद, पी.ड. 6 प्रेमसिंह, पी.ड. 7 संजय शर्मा, पी.ड. 8 वीरेन्द्र सिंह, पी.ड. 9 राजेश कुमार, पी.ड. 10 मुकेश कुमार को परीक्षित कराया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में चाक एफआईआर प्रदर्श पी 1, रपट रोजनामचा कायमी प्रदर्श पी 2, फर्द जब्ती प्रदर्श पी 3, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 4, धारा 41ए नोटिस प्रदर्श पी 5, चार्जशीट प्रदर्श पी 6, नक्शामौका घटनास्थल प्रदर्श पी 7, रवानगी रपट प्रदर्श पी 9, वापसी रपट प्रदर्श पी 10, मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श पी 11, अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श पी 12, आपराधिक रिकार्ड प्रदर्श पी 13, मालखाना रजिस्टर की प्रति प्रदर्श पी 14ए दस्तावेजात तथा थैली आर्टिकल 1, कट्टा आर्टिकल 2, कारतूस आर्टिकल 3 पेश कर प्रदर्शित करवाये गये। अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह के दौरान दस्तावेज रवानगी रपट प्रदर्श डी 1 प्रदर्शित करवाई गई ।

6. अभियुक्त के बयान अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं. के तहत लेखबद्ध किये गये जिसमें उसने गवाहान के कथनों को गलत होना बताया और स्वयं के निर्दोष होने का कथन करते हुये उसके खिलाफ पुलिस द्वारा झूठा हथियार रखकर केस बनाना व उससे कोई बरामदगी नहीं होने का कथन किया है । साक्ष्य सफाई पेश करना चाहा, परन्तु साक्ष्य सफाई पेश नहीं की है।

7. बहस अन्तिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अपर लोक अभियोजक ने निवेदन किया कि अभियोजन पक्ष स्वयं की साक्ष्य से अपने मामले को संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है । अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध करार दिया जावे।

8. जवाब में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क रहा है कि अभियुक्त के द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है । उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है । अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहों ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। अतः अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त करार दिया जावे ।

9. पक्षकारान की ओर से की गई बहस के आलोक में पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि-

(1). क्या दिनांक 14.05.24 को समय करीब 02.30 पीएम या उसके लगभग गांव होलापुर के पास गढीजाफर नदी के पास पुलिस जाब्ता राजाखेडा द्वारा दौराने गश्त व नाकाबंदी अभियुक्त के पेंट की दाहिनी जेब से एक देशी कट्टा 315 बोर व बाईं जेब में एक कारतूस 315 बोर बरामद किया गया, जिन्हें स्वयं के पास रखने बाबत अभियुक्त के पास कोई वैध लाइसेंस या अनुज्ञा पत्र नहीं था तथा वैध अनुज्ञा पत्र नहीं होने के बावजूद भी दिनांक 14.05.24 को कारित घटना में उक्त कट्टा व कारतूस का प्रयोग अभियुक्त के द्वारा किया गया, इस प्रकार अभियुक्त एक संगठित अपराध में लिप्त है और इस प्रकार के अन्य प्रकरण भी अभियुक्त के विरूद्ध पंजीबद्ध हैं और अभियुक्त के विरूद्ध बीस हजार रूपये का ईनाम भी घोषित किया हुआ है ?

(2). यदि हॉं तो मुलजिम किस दण्ड का पात्र है ?

10. उक्त विचारणीय बिन्दु के संदर्भ में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 10 गवाहों के बयान लेखबद्ध करवाये गये हैं, जिसमें से गवाह पी.डब्ल्यू.01 वीर सिंह ने कथन किया है कि दिनांक 14.05.2024 को मैं थानाधिकारी थाना राजाखेड़ा पर पदस्थापित था। उस दिन 20,000 रूपये के वांछित ईनामी बदमाश रामभरत की सूचना जरिये मुखबिर प्राप्त हुई थी कि वह गढी जाफर चम्बल घाट पर एमपी की तरफ से आने वाला है। इस सूचना पर मैं मन थानाधिकारी विरेन्द्र सिंह एएसआई, पूरन कानि., सतीश कानि., ताराचंद कानि. मय जीप सरकारी

मय हसला के गढी जाफर 9.30 एएम पर पहुंच गया। वहां जाकर अलग-अलग दो टीम बनाई। जिसमें एक टीम को विरेन्द्र एएसआई व जाब्ता व एक टीम को मैं स्वयं लीड कर रहा था। प्लानिंग के बाद में एमपी की तरफ से गढी जाफर जो नाव का रस्ता या घाट है, जिस पर मुखबिर के बताये अनुसार ईनामी बदमाश रामभरत के आने की संभावना थी, उसके पास ही मिट्टी के टीलो की आड़ में पूर्ण तैयारी के साथ बदमाश को पकड़ने की प्लानिंग कर व्यवस्थित हो गये। उसके बाद करीब पोने तीन बजे के करीब एमपी की तरफ से एक नाव गढी जाफर राजस्थान के घाट की ओर आती हुई दिखाई दी, जिस पर घाट पर आने के बाद में मौजूदा जाब्ते के द्वारा घेरा देकर मुखबिर के द्वारा बताये गये हुलिया के व्यक्ति को पकड़ लिया। पकड़कर उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम रामभरत जाति ठाकुर निवासी देवखेड़ा का होना बताया। हमराही जाब्ता के द्वारा तलाशी ली गयी, तो उसके दाहिने हाथ में एक 315 बोर का देशी कट्टा व पैंट की जेब में एक जिन्दा कारतूस 315 बोर मिला। जिससे कट्टा व कारतूस के लाईसेंस के संबंध में पूछा गया तो उसने बताया कि कोई लाइसेंस नहीं है। इस पर मौके पर ही कट्टे को शील्ड मौहर कर मार्क ए अंकित किया, तथा मुल्जिम रामभरत को मौके पर धारा 41क सीआरपीसी का नोटिश देकर नोटिश की पालना करते हुए बरूये फर्द गिरफ्तार किया। बाद सम्पूर्ण कार्यवाही के जब्तशुदा आर्टिकल मार्क ए तथा गिरफ्तार शुदा मुल्जिम रामभरत के साथ रवाना होकर उपस्थित थाना आये। हसला मालखाना जमा कराया व मुल्जिम को बंद हवालात कराया जाकर मेरे द्वारा वापसी पर अभियोग 139/24 धारा 3/25(6) व 5/25 आम्र्स एक्ट पंजीबद्ध कर तफतीश श्री राजेश एएसआई के जिम्मे की गयी। जिसकी चाक एफआई आर प्रदर्श पी 01 है, जिस पर ए से बी मेरे डिजिटल हस्ताक्षर है। रपट रोजनामचा कायमी प्रदर्श पी 02 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। मुल्जिम रामभरत से मौके पर एक अवैध देशी कट्टा 315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 315 बोर को जब्त किया था जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 03 है जिस पर ए से बी मुल्जिम रामभरत के, सी से डी व ई से एफ गवाहान के व जी से एच मेरे हस्ताक्षर है, एवं एक्स स्थान पर तीन जगह नमूनाशील अंकित है। फर्द गिरफ्तारी मुल्जिम रामभरत पुत्र यशपालसिंह जाति ठाकुर निवासी देवखेड़ा प्रदर्श पी 04 है जिस पर ए से बी मुल्जिम रामभरत के, सी से डी व ई से एफ गवाहान के व जी से एच मेरे हस्ताक्षर है, एवं एक्स स्थान पर मुल्जिम रामभरत का फोटो चस्पा हैं। मुल्जिम रामभरत को मौके पर दिया गया नोटिश धारा 41ए सीआरपीसी प्रदर्श पी 05 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। मुल्जिम रामभरत के कब्जे से एक अवैध देशी कट्टा 315 बोर मय जिन्दा

कारतूस 315 बोर जिसे मौके पर ही मेरे द्वारा एक कपडे की थैली में रखकर शील्ड मौहर कर मार्क ए अंकित किया गया था, वह थैली आर्टिकल 01 है जिस पर ए से बी मुल्जिम रामभरत के, सी से डी व ई से एफ गवाहान के व जी से एच मेरे हस्ताक्षर है, एवं एक्स स्थान पर तीन जगह नमूनाशील अंकित है। जब्तशुदा कट्टा आर्टिकल 02 है तथा जब्तशुदा जिंदा कारतूस आर्टिकल 03 है। बाद अनुसंधान आई ओ राजेश एएसआई के द्वारा मुल्जिम रामभरत पुत्र यशपालसिंह जाति ठाकुर निवासी देवखेड़ा के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत 3/25(6) व 5/25, 3/25(1-बी)(ए) संशोधित आर्म्स एक्ट 2019 बखूबी प्रमाणित पाये जाने पर रामभरत के विरूद्ध चार्जशीट संख्या 78 दिनांक 31.07.2024 को न्यायालय में पेश की गयी। जो चार्टशीट प्रदर्श पी 06 है जिस पर ए से बी मेरे डिजिटल हस्ताक्षर है।

11. पी.डब्ल्यू.02 पूरनमल ने कथन किया है कि दिनांक 14.05.2024 को मैं थाना राजाखेड़ा पर कानि के पद पर तैनात था। सुबह करीब 08.00 बजे मुझे थाना राजाखेड़ा की 20,000 राशि के ईनामी बदमाश रामभरत के संबंध में मुखबीर खास से सूचना प्राप्त हुयी इस पर मैंने थानाधिकारी महोदय श्रीवीर सिंह जी को अवगत करवाया। थाने से श्रीमान थानेदार साहब के साथ श्री वीरेन्द्र सिंह जी एएसआई कानि. सतीश, ताराचन्द्र व मैं सरकारी वाहन से रवाना होकर गढ़ीजाफर चंबल घाट पहुचें जहंा पर हमने करीब 05 घंटे तक इंतजार किया। रामभरत एमपी बॉर्डर से नाव से नदी पार करते हुये राजस्थान की तरफ आ रहा था। वह जैसे ही किनारे पर पहुचां तो श्री वीरेन्द्र सिंह जी एसआई साहब, एसएचओ साहब के नेतृत्व में हमने मुल्जिम को दबोच लिया मुल्जिम की तलाशी मेरे व कानि ताराचन्द्र द्वारा थानेदार साहब के नेतृत्व में ली गयी। तो मुल्जिम रामभरत के पेंट की दाहिनी जेब में एक कट्टा 315 बोर एवं बाये जेब में एक जिंदा कारतूस 315 बोर मिला। जिसके संबंध में श्रीमान थानेदार साहब द्वारा लाईसेंस के संबंध में पूछा तो इंकार किया। मुल्जिम के पास अवैध रूप से देशी कट्टा 315 बोर मय एक जिंदा कारतूस को रखने एवं लाने ले जाने के संबंध में लाईसंेस नही होने पर जप्ती तैयार की गयी। जिसकी फर्द जप्ती प्रदश्र पी 03 है जिसपर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है। मुल्जिम की गिरफ्तारी मौके पर तैयार की गयी जो प्रदर्श पी 04 है जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। दिनांक 16.05.2024 को घटना स्थल का नक्श मौका आईओ राजेश कुमार एएसआई द्वारा तैयार किया गया। जो प्रदर्श पी 07 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है।

12. पी.डब्ल्यू.03 सतीशचंद्र ने कथन किया है कि दिनांक 14.05.2024 को मैं थाना राजाखेड़ा पर कानि. के पद पर पदस्थापित था। उस दिन करीब साढे आठ-नो एएम बजे पूरन कानि. को जरिये मुखबिर सूचना मिली कि ईनामी बदमाश रामभरत एमपी की तरफ से गढी जाफर की तरफ नाव से आ रहा है, उक्त सूचना पर समय करीब साढे नौ एएम पर मैं, थानाधिकारी वीरसिंह, एएसआई वीरेन्द्र सिंह, कानि. पूरन, कानि. ताराचंद, गढी जाफर मय सरकारी वाहन के पहुंचे। नाव उतरने के स्थान से करीब 100 मीटर की दूरी पर थानाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशानुसार हम एक टीले की आड़ में छुपाव लेते हुए तैनात हुए। एक टीम में मैं और वीरेन्द्र एएसआई थे तथा दूसरी टीम में ताराचंद कानि. थे जो 100 मीटर की दूरी पर छुपाव लेकर तैनात हो गये, पूरन कानि. एसएचओ साहब थे जो सादा वर्दी में थे, नाव उतरने वाले स्थान पर तैनात हो गये। करीब 5 घण्टे बाद ढाई बजे एक नाव जो एम पी की तरफ से गढी जाफर राजस्थान की तरफ आयी। नाव में एक चालक व एक अन्य व्यक्ति था। जैसे ही नाव किनारे की तरफ आयी, तो हम आड़ से आये और कानि. पूरन व एसएचओ साहब ने नाव से उतरे हुए व्यक्ति को आवाज लगायी कि हाथ उपर करो। जैसे ही वह उतरा तो हम सभी ने उसे घेरा देकर दबोच लिया। और जब उससे नाम-पता पूछा तो उसने अपना नाम रामभरत पुत्र हरविलास निवासी देवखेड़ा का होना बताया। फिर उसकी तलाशी ली तो दाहिनी जेब से 315 बोर कट्टा तथा दूसरी जेब में एक जिन्दा कारतूस मिला। उससे कट्टे के बारे में पर्मिशन के बारे में पूछा तो लाईसेंस होना नहीं बताया। उसे पकड़कर माल को एक कपड़े की थैली में शील्ड मौहर कर मार्क ए अंकित किया गया तथा रामभरत को मौके पर ही 3/25(6) व 5/25 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया। रवाना होकर थाना वापस आये, और मुल्जिम को बंद हवालात कराया तथा माल को जमा मालखाना कराया।

13. पी.डब्ल्यू.04 रामरूप ने कथन किया है कि दिनांक 01.07.2024 को थाना राजाखेड़ा पर कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन मुकदमा नम्बर 105/24 व 139/24 में जब्तशुदा, शील्डशुदा माल का मैकेनिकल मुआयना कराने पुलिस लाईन धौलपुर रवाना हुआ था। मेरी रवानगी रपट प्रदर्श पी 09 है, और मैकेनिकल मुआयना कराकर दिनांक 03.07.2024 को रिपोर्ट प्राप्त कर रिपोर्ट व माल को जमा मालखाना थाने पर करवाया। मेरी वापसी रपट प्रदर्श पी 10 है।

14. पी.डब्ल्यू.05 ताराचंद ने कथन किया है कि दिनांक 14.05.2024 को

मैं थाना राजाखेड़ा पर कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन वीरसिंह जी थानाधिकारी के साथ मैं, श्री विरेन्द्रसिंह एएसआई, कानि पूरन, कानि सतीश कुमार मय आम्र्स एण्ड ऐम्यूनेशन वाहन के मुताबिक सूचना कानि. पूरन के मुखबिर खास के थाना हाजा से ईनामी बदमाश रामभरत की सूचना पर रवाना होकर ईलाका थाना राजाखेड़ा बसई घीयाराम होता हुआ समय करीब 9ः30 एएम पर चैकी गढी जाफर चम्बल आर-पार नाव से करने वाले स्थान पर पहुंचे जहां पर थानाधिकारी द्वारा एमपी बॉर्डर व राजस्थान बॉर्डर चम्बल नदी क्षेत्र आवागमन बॉर्डर पर लगने वाले गांव गढी जाफर पर नाव के रूकने वाले स्थान को चिन्हित करते हुए जाब्ता की पृथक-पृथक टीमे गठित की गयी। थानाधिकारी द्वारा रवानाशुदा जाब्ते में से एक टीम बावर्दी जाब्त विरेन्द्र एएसआई मय सरकारी पिस्टल व सतीश कानि. को चम्बल नदी से नाव के जरिये आवागमन करने वाले स्थान से 100 मीटर की दूरी पर बीहड़ के उबड़-खाबड़ क्षेत्र मिट्टी के टीलो की आड़ में छुपाव लेकर रहने की हिदायत दी गयी। दूसरी टीम में मुझे चम्बल नदी पार करने वाले स्थान से करीब 100 मीटर की दूरी पर बीहड़ क्षेत्र में उबड़-खाबड़, मिट्टी के टीलो में छुपाव लेकर रहने की हिदायत दी गयी। थानाधिकारी वीरसिंह पुलिस निरीक्षक व कानि. पूरनमल मय सरकारी पिस्टल के साधा वस्त्रो में चम्बल नदी नाव से उतरने वाले स्थान पर तैनात हुए। समय करीब 2ः30 पीएम पर चम्बल नदी के दूसरे क्षेत्र होलापुरा गांव की ओर से नाव आती हुई दिखाई दी, जिसमें एक शख्स मुखबिर खास द्वारा बताये गये हुलिये का बैठा हुआ दिखाई दिया उसके बाद यह नाव नदी पार करती हुई गढी जाफर की तरफ रूकने वाले स्थान के पास वह नाव आयी, हमने व थानाधिकारी ने घेरा देकर उसमें से उतरे व्यक्ति को पकड़कर उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम रामभरत पुत्र यशपाल सिंह जाति ठाकुर उम्र 30 साल निवासी देवखेड़ा थाना राजाखेड़ा का होना बताया। मैंने व कानि. पूरनमल ने तलाशी ली तो उसकी दाहिनी आट में देशी कट्टा 315 बोर व पैंट की पीछे की बायी जेब में एक जिन्दा कारतूस 315 बोर मिला जिसको रखने व ले जाने की पर्मीशन मांगी तो उसने कोई लाईसेंस व परमीशन नहीं होना बताया। मौके पर ही उक्त शख्स का अपराध 3/25(6) आम्र्स एक्ट में प्रमाणित पाये जाने पर रामभरत को मोके पर ही गिरफ्तार किया गया जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 04 है जिस पर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है, ए से बी मुल्जिम रामभरत के हस्ताक्षर है। मुल्जिम से जब्त किया गया कट्टा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर को मौके पर ही जरिये फर्द जब्त कर मार्क ए अंकित किया जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श 03 है, जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है, ए से बी मुल्जिम रामभरत के हस्ताक्षर है। दिनांक 16.05.2024 को समय

8ः10 एएम पर घटनास्थल का नक्शा मौका कसीद किया जो प्रदर्श पी 07 है जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है।

15. पी.डब्ल्यू.06 प्रेमसिंह ने कथन किया है कि मैं दिनांक 01.07.2024 को पुलिस लाईन धौलपुर में आर्मोरर के पद पर तैनात था। उस दिन मेरे समक्ष मुकदमा नम्बर 139/24 थाना राजाखेड़ा से एक देशी कट्टा 315 बोर मय एक कारतूस 315 बोर जिन्दा मार्क ए शील नमूना क्यू पी एन एक ही शील्ड पैकेट में कानि. रामरूप आर्मोरर वर्कशॉप पुलिस लाईन धौलपुर में लेकर आया जिसको मैंने अनशील्ड कर मुआयना रिपोर्ट तैयार की जो निम्न प्रकार है- एक देशी कट्टा 315 बोर चालू हालत में था उसका एक्शन मैकेनिज्म सही कार्य कर रहा था। आग्नेय शस्त्र की तारीफ में आता था, लोकल कारीगर द्वारा बनाया गया था। कट्टा के साथ में एक कारतूस 315 बोर जिन्दा हालत में था जो एम्यूनेशन की तारीफ में आता था, जिसकी पेंदी के उपर केएफ 8 एमएम लिखा हुआ था। पहचान के लिए कट्टा की बैरल के उपर पी एस की स्टाम्प अंकित की गयी थी। बाद निरीक्षण कट्टा मय कारतूस को पुनः पी एस बी की शील मौहर किया गया। शील बदं पैकेट मय मुआयना रिपोर्ट की मूल प्रति कानि. रामरूप को दी जाकर ओ सी पर हस्ताक्षर कराये। मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श पी 11 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है और एक्स स्थान पर तीन जगह नमूनाशील अंकित है।

16. पी.डब्ल्यू.07 संजय शर्मा ने कथन किया है कि दिनांक 26.07.2024 को मैं न्याय अनुभाग जिला कलेक्ट्रेट एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर पर कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत था। उस दिन एफआईआर नम्बर 139/24 अन्तर्गत धारा 3/25(6),5/25 आर्म्स एक्ट पुलिस थाना राजाखेड़ा से संबंधित पत्रावली अभियोजन स्वीकृति बाबत जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी। जिसका अवलोकन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाकर प्रकरण में जब्त एक अवैध देशी कट्टा 315 बोर जो फायर आर्म्स की श्रेणी में आता है एवं एक कारतूस 315 बोर जिन्दा जो एम्यूनेशन की श्रेणी में आता है, पत्रावली का विचार-मनन करने के पश्चात जिला मजिस्ट्रेट श्रीनिधि बी टी द्वारा मुल्जिम रामभरत पुत्र यशपाल सिंह जाति ठाकुर निवासी देवखेडा थाना राजाखेडा जिला धौलपुर से जब्त एक अवैध देशी कट्टा 315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 315 बोर को बिना शस्त्र अनुज्ञा पत्र के अपने कब्जे में रखकर आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 का दण्डनीय अपराध किया जाना प्रथम दृष्टया पाया, जिसमें श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा आयुध अधिनियम 1959 की धारा 39 के अधीन शक्तियो का प्रयोग करते

हुए मुल्जिम रामभरत के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति मेरे समक्ष प्रदान की थी, जो अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श पी 12 है, जिस पर ए से बी जिला मजिस्टेट श्रीनिधि बी टी के हस्ताक्षर है जिन्हे मैं उनका अधीनस्थ कर्मचारी होने के कारण पहचानता हूं।

17. पी.डब्ल्यू.08 वीरेन्द्र सिंह ने कथन किया है कि दिनांक 14.05.2024 को मैं थाना राजाखेड़ा पर एएसआई के पद पर तैनात था। उस दिन मैं तथा कानि. पूरनमल, कानि. ताराचन्द, कानि. सतीश चन्द, एसएचओ श्री वीरीसिंह सीआई के साथ कानि. पूरनमल की सूचना पर थाने से रवाना हुये थे। थाने से रवाना होकर बसईघीयाराम होते हुये समय करीब 09ः30 एएम पर गढीजाफर चैकी के पास चम्बल नदी के किनारे पहुॅचे जहां पर एसएचओ साहब ने तीन टीमें बतायी जिनमें मेरे साथ कानि. सतीश चन्द तथा दूसरी टीम में कानि. ताराचन्द तथा तीसरी टीम में एसएचओ स्वयं मय कानि. पूरनमल के टीमें गठित की गईं और मेरी टीम को जहां पर एम.पी. की तरफ से नाव गढी जाफर की तरफ आती है उस जगह से सौ मीटर की दूरी पर मिट्टी के टीलों की तरफ छिपाव करते हुये रहने के लिये कहा तथा कानि. ताराचन्द को उस जगह से दूसरी तरफ झाडियों की तरफ छिपे रहने के लिये एवं इंतजार करने के लिये कहा तथा तीसरी टीम में स्वयं एसएचओ साहब सादा वस्त्रों में जहां नाव किनारे पर लगती है वहां खड़े हो गये। उसके करीब पाँच घण्टे बाद समय 02ः30 पीएम पर एम.पी. होलापुरा गांव की तरफ से चम्बल नदी में नाव आती दिखायी दी जिसमें मुखबिर के बताये अनुसार हुलिया का व्यक्ति नाव में बैठा हुआ दिखायी दिया। जैसे ही नाव गढी जाफर की तरफ किनारे पर आयी तो कानि. पूरनमल ने एवं एसएचओ साहब ने उस व्यक्ति को पकड़ा और हम भी मौके पर पहुॅच गये। पकडे व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रामभरत पुत्र यशपाल सिंह होना बताया जो श्रीमान एसपी साहब की तरफ से बीस हजार रूपये का ईनामी था जिसकी कानि. पूरनमल व ताराचन्द से तलाशी लिवायी गयी तो पेंट की दाहिनी आंट में एक कट्टा 315 बोर एवं पेंट की बांयी जेब में एक कारतूस 315 बोर जिन्दा मिला। कट्टा एवं कारतूस के बारे में एसएचओ साहब ने लाईसेंस मांगा तो उक्त व्यक्ति रामभरत ने अपने पास नहीं होना बताया। उक्त व्यक्ति का जुर्म धारा 3/25(6) आर्म्स एक्ट एवं धारा 5/25 संशोधित आर्म्स एक्ट की तारीफ में आना पाये जाने पर कट्टा एवं कारतूस को एसएचओ साहब ने मौके पर ही जब्त कर एक कपडे की थैली में रखकर सील मौहर कर मार्क ए अंकित किया एवं मुल्जिम रामभरत को उसके जुर्म से आगाह करते हुये एवं उसे संवैधानिक अधिकारों की

जानकारी देते हुये बरूये फर्द गिरफ्तारी मौके पर ही गिरफ्तार किया गया। बाद कार्यवाही मौके से रवाना होकर वापस थाना आये। मुल्जिम को बन्द हवालात कराया। जब्तशुदा माल को जमा मालखाना कराया व रवानाशुदा असला को जमा मालखाना किया।

18. पी.डब्ल्यू.09 राजेश कुमार ने कथन किया है कि दिनांक 14.05.24 को मैं एएसआई के पद पर थाना राजाखेडा पर तैनात था। उस दिन मुकदमा नंबर 139/24 का अनुसंधान उसे सुपुर्द किये जाने पर उसके द्वारा मुस्तगीस वीरसिंह सीआई एवं गवाहान के बयान लेखबद्ध किये। घटनास्थल का नक्शमौका प्रदर्श पी 7 बनाया। आपराधिक रिकार्ड प्रदर्श पी 13 शामिल पत्रावली किया। बाद अनुसंधान मुलजिम रामभरत को पेश न्यायालय कर जेल दाखिल कराया गया। मुलजिम के कब्जे से जब्त किये गये एक कट्टा व एक जिंदा कारतूस 315 बोर का मैकेनिकल मुआयना कराये जाने हेतु भेजा गया जिसकी मुआयना रिपोर्ट शामिल पत्रावली है। प्रकरण में मुलजिम के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति डीएम कार्यालय से प्राप्त कर शामिल पत्रावली की जो प्रदर्श पी 12 है। समस्त अनुसंधानों से मुलजिम के खिलाफ जुर्म प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली राय एपीपी प्राप्त करने व निस्तारण हेतु थाना राजाखेडा को सुपुर्द की, जिनके द्वारा उसके अनुसंधान को सही मानते हुये प्रकरण में मुलजिम के विरूद्ध चार्जशीट न्यायालय में पेश की जो शामिल पत्रावली है जो पूर्व से प्रदर्श पी 6 है। समस्त फर्दों पर उसके हस्ताक्षर है।

19. पी.डब्ल्यू.10 मुकेश कुमार ने कथन किया है कि मै दिनंाक 14.05.2024 को थाना राजाखेडा हैड कानि0 714 बतौर कार्यवाहक मालखाना इन्चार्ज के पद पर पदस्थापित था उस दिन थानाधिकारी श्री वीरसिंह जी सीआई साहब ने जब्त शुदा व शीलशुदा एक अवैध देशी कट्टा 315 बौर व एक जिन्दा कारतूस 315 बौर मय शीलशुदा अवस्था में एक कपडे की थैली मे मुझे मालखाना में रखने हेतु दिया था जिसका मैने मालखाना रजिस्टर के मद संख्या 667/24 पर इन्द्राज कर मालखाना में दाखिल किया। मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 14 है जिसकी प्रति प्रदर्श पी 14 ए है जो शामिल पत्रावली है।

20. पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पी.ड. 8 वीरेन्द्र सिंह ने जिरह में स्वीकार किया है कि नाव में दो व्यक्ति थे । एक मुलजिम था, अन्य नाव चलाने वाला का नाम पता नहीं है । अन्य

वाला व्यक्ति पुलिस वाला नहीं था । पुलिस ने मुलजिम के साथ अन्य व्यक्ति जो नाव में था, से पूछताछ की तो पूछताछ के मुताबिक मुलजिम के साथ नहीं होना पाया और ग्राम अंधियारी का होना पाया । यह सही है कि पुलिसकर्मी ने उस व्यक्ति को किसी भी कार्यवाही का गवाह नहीं बनाया, क्योंकि उसने आपसी रंजिश के कारण गवाह बनने से इंकार कर दिया । यह सही है कि उसने अपने पुलिस बयान में नाव में दो व्यक्तियों का होना नहीं बताया, अजखुद कहा कि नाव में एक व्यक्ति दिखाई दिया था और एक नाव चला रहा था । नाव चलाने वाले व्यक्ति का उसके बयान में कोई जिक्र नहीं है और न ही नाव रोकने के बाद कोई व्यक्ति मिला हो तो इसका जिक्र है । मेरे समक्ष जब मुलजिम को गिरफ्तार किया गया, तब किसी स्वतंत्र व्यक्ति को गवाह नहीं बनाया क्योंकि वे गवाह बनने को तैयार नहीं थे । यह भी सही है कि जब भी थाने से रवानगी होती है तो उसकी रवानगी रपट डलती है और अपने साथ लेकर जाने वाले सामान का हवाला रवानगी रपट में डाला जाता है । यह कहना सही है कि रवानगी रपट प्रदर्श डी 1 में अनुसंधान बॉक्स का हवाला नहीं है । यह कहना सही है कि अनुसंधान बॉक्स में कम्प्यूटर, प्रिंटर व लेपटॉप सभी सामान साथ में रहता है । हमारे पास बैटरी वाले प्रिंटर नहीं है । यह सही है कि मेरे समक्ष मुलजिम की गिरफ्तारी व जब्ती की कार्यवाही नदी के किनारे हुई थी । यह भी सही है कि नदी के किनारे लाईट नहीं थी । इस प्रकार गवाह की जिरह के मुताबिक नाव में दो व्यक्ति का होना बताया है जिसमें एक व्यक्ति मुलजिम था व दूसरा अन्य था, लेकिन अन्य व्यक्ति से न तो कोई पूछताछ की गई और न ही उस व्यक्ति को किसी जब्ती की कार्यवाही का गवाह बनाया गया । अभियुक्त से उस व्यक्ति की रंजिश थी, क्या रंजिश थी, इस बारे में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, न बयानों में कहीं कथन किया है कि अभियुक्त की नाव वाले से कोई रंजिश हो । जिरह में यह स्वीकार कर रहा है कि मौके पर लाईट की कोई व्यवस्था नहीं थी । लेकिन फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 4 और नोटिस धारा 41ए प्रदर्श पी 5 मौके पर तैयार किये गये, वो मौके पर किस प्रकार प्रिंटर से टाईप कर निकाले गये, उसका कोई हवाला नहीं है । जबकि जिस लेपटॉप से प्रिंट करना बताया गया है, उसके साथ कोई बैटरी नहीं थी । अनुसंधान बॉक्स लेकर रवाना हुये, इसका अंकन प्रदर्श डी 1 में नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो कि कार्यवाही के दौरान अनुसंधान बॉक्स को पुलिस पार्टी द्वारा लेकर जाया गया हो । प्रदर्श पी 5 नोटिस जो अभियुक्त को दिया गया है, उसमें दिनांक के आगे रिक्त स्थान पर कोई दिनांक अंकित नहीं है। प्रदर्श पी 5 नोटिस पर हस्ताक्षर करने से मना किया, जबकि दिनांक 14.05.24 को ही प्रदर्श पी 4 मौके पर तैयार किया गया, जिस पर अभियुक्त के हस्ताक्षर

कराये गये हैं । यह विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है कि नोटिस प्रदर्श पी 5 पर उसने हस्ताक्षर करने से मना किया और उसी समय प्रदर्श पी 4 पर उसने हस्ताक्षर कर दिये । जबकि गिरफ्तारी का स्थान गढीजाफर चंबल नाव घाट बताया गया है जो नक्शामौका प्रदर्श पी 7 के अनुसार एक्स स्थान है जो नदी का किनारा है जहां रोशनी का कोई भी साधन नहीं है । अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श पी 12 जो ली गई है, वह अभियोजन स्वीकृति मात्र धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत ली गई, जबकि अभियुक्त पर धारा 3/25(6), 5/25 आर्म्स एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया है । धारा 5/25 आर्म्स एक्ट में यह प्रावधान है कि अभियुक्त जिससे हथियार बरामद किये गये हैं, वह बेचने के उद्देश्य से संग्रहण या खरीदने के लिये आया हो, लेकिन अभियोजन पक्ष के किसी भी साक्षी के द्वारा अपनी साक्ष्य में यह तथ्य अंकित नहीं कराया है कि अभियुक्त से जो हथियार कारतूस और कट्टा बरामद किये गये हैं, वह उसे बेचने के उद्देश्य से या वह उस नाविक से खरीदने आया हो । प्रदर्श पी 4 पर जो कि अभियुक्त की गिरफ्तारी है, उस पर अभियुक्त का फोटो चस्पा किया गया है, यह फोटो अभियुक्त की जामा तलाशी में मिला या अभियुक्त ने खुद से प्रदान किया, इस संबंध में कोई भी कथन किसी भी गवाह के द्वारा नहीं किया गया है ।

21. पी.ड. 1 वीरसिंह जिरह में स्वीकार करता है कि यह सही है कि पत्रावली पर रवानगी रपट नहीं है । जिरह में यह भी स्वीकार करता है कि यह सही है कि रवानगी पर हम थाने से हथियार कोत से लेते हैं व जमा कराते हैं, उसका इन्द्राज होता है । हथियार कोत के रजिस्टर में इन्द्राज करके गये थे लेकिन वो रजिस्टर की प्रति पत्रावली पर मौजूद नहीं है । कौन कौन से हथियार पुलिसकर्मी पार्टी के सदस्य लेकर गये, यह स्पष्ट नहीं है । मुलजिम की गिरफ्तारी की सूचना मुलजिम के भाई को देना बताया गया है, लेकिन उसके कौन से भाई को सूचना दी गई, उसका क्या नाम था, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होना बताया गया है । जानकारी किस माध्यम से दी गई, यह भी अंकित नहीं है । जिरह में कहता है यह सही है कि गिरफ्तारी के समय मुलजिम की आईडी ली थी लेकिन वह आईडी पत्रावली पर मौजूद नहीं है । अभियुक्त का नाम रामभरत ही था, इसको सुनिश्चित करने का कोई भी साधन व दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है । जिरह में यह भी स्वीकार करता है कि यह सही है कि इस पत्रावली पर मुलजिम के बीस हजार रूपये के ईनामी होने का कोई भी दस्तावेज मौजूद नहीं है, जबकि इस संबंध में प्रदर्श पी 4 पर ईनामी बदमाश मुलजिम रामभरत लिखा हुआ है । अभियुक्त किस प्रकार से ईनामी बदमाश था, इसकी कोई साक्ष्य पत्रावली

पर मौजूद नहीं है । जिरह में यह भी स्वीकार करता है कि मुलजिम मौके से भागा नहीं था । प्रदर्श पी 7 का कोई भी गवाह स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया गया जबकि प्रदर्श पी 7 दिनांक 16.05.24 को 08.10 एएम पर बनाया गया है और घटनास्थल से आबादी लगभग डेढ दो किलोमीटर दूर बताई गई है । नक्शामौका प्रदर्श पी 7 बनाते वक्त स्वतंत्र गवाह अनुसंधान अधिकारी बना सकता था, लेकिन उसने कोई भी स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया । मौके पर नाव वाले के द्वारा गवाह बनने से इंकार किया गया, ऐसा इस गवाह ने कथन किया है, लेकिन उसके गवाह बनने से इंकार करने पर पुलिस के द्वारा कोई नोटिस दिया गया हो, ऐसा कोई नोटिस पत्रावली पर मौजूद नहीं है । यह गवाह उस नाविक का नाम भी नहीं बताता है कि वह नाविक कौन था ।

22. पी.ड. 5 ताराचंद जिरह में कहता है कि मुझे ध्यान नहीं है कि मुलजिम का जो फोटो प्रदर्श पी 4 पर चस्पा है, वह कहां से प्राप्त हुआ । यह सही है कि यदि मुलजिम से फोटो प्राप्त होता तो वह जब्ती में शामिल होता । जब्ती मौके पर तैयार की गई थी । इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में कहीं भी यह कथन नहीं किया है कि अभियुक्त बरामदशुदा कट्टा व कारतूस बेचने के लिये लाया हो, केवल बरामदगी के संबंध में तथ्य अंकित कराता है । जिरह में कहता है कि यह सही है कि रवागनी रपट प्रदर्श डी 1 में अनुसंधान पेटी का हवाला नहीं है और न ही किसी कम्प्यूटर व प्रिंटर का हवाला है । यदि उक्त गवाह पुलिस पार्टी का सदस्य होता तो उस संबंध में अनुसंधान पेटी व कम्प्यूटर, प्रिंटर का हवाला प्रदर्श डी 1 में होता, लेकिन ऐसा कोई हवाला प्रदर्श डी 1 में नहीं है । जिरह में यह भी स्वीकार करता है कि गिरफ्तारी व जब्ती के समय 3/25(6), 5/25 आर्म्स एक्ट बाबत क्या साक्ष्य थी, यह आईओ साहब बता सकते हैं । इस प्रकार धारा 5/25 आर्म्स एक्ट किस प्रकार जोडी गई, इसके बारे में इस गवाह ने कोई स्पष्ट कथन नहीं किये हैं । पी.ड. 6 प्रेमसिंह जिरह में स्वीकार करता है कि यह सही है कि जिस तहरीर से उसके पास कट्टा आया, वह तहरीर पत्रावली में नहीं है । यह कहना गलत है कि कट्टा व कारतूस पर जंग लगी हो, बल्कि कट्टा व कारतूस नोर्मल थे । जो कट्टा व कारतूस उसके पास मुआयने के लिये आये, वह हाजिर अदालत नहीं है । यह बात सही है कि मैंने एफएसएल रिपोर्ट के लिये न ही एमआई रिपोर्ट पर लिखा और न ही जांच कराई । कट्टे पर कोई विशेष पहचान चिन्ह अंकित नहीं था । पी.ड. 7 संजय शर्मा जो कि अभियोजन स्वीकृति के संबंध में गवाही देने के लिये न्यायालय में उपस्थित हुये, ने जिरह में यह स्वीकार किया है कि यह सही है कि प्रदर्श पी 12 में ऐसा अंकन नहीं है कि

यह मेरे सामने बना हो और न ही मेरा नाम अंकित है । जिस दिन प्रदर्श पी 12 बनाया गया, उस दिन मैं कलेक्ट्रेट में उपस्थित था या नहीं, इस संबंध में कोई दस्तावेज पत्रावली पर मौजूद नहीं है । मैं स्वयं कलेक्टर नहीं हूं । यह भी सही है कि अभियोजन स्वीकृति के लिये क्या क्या मापदण्ड होते हैं, मैं यह भी नहीं जानता । प्रदर्श पी 12 मैंने वहां तैयार नहीं किया था, जहां कलेक्टर व आईओ साहब थे, मैं अपने सैक्शन न्याय विभाग से टाईप करके ले गया था । हमारे सिस्टम में अभियोजन स्वीकृति के प्रारूप बने रहते हैं जिनमें नाम पते बदलकर हम तैयार करते हैं । यह सही है कि आज हाजिर अदालत माल नहीं है उस दिन माल शील्ड था, जिसको खोलकर नहीं देखा गया था । यह सही है कि प्रदर्श पी 12 में उस सील का अंकन नहीं है । इस प्रकार अभियोजन स्वीकृति के लिये जो कट्टा लाना बताया गया है, उसके पैकेट की सील नहीं खोली गई और न ही कलेक्टर साहब के द्वारा उसके सामने कोई अभियोजन स्वीकृति जारी की गई, बल्कि इस गवाह के बयान के अनुसार जो सिस्टम में अभियोजन स्वीकृति के प्रारूप रहते हैं उनमें नाम पते बदलकर अभियोजन स्वीकृति तैयार कर देते हैं जो कि अभियोजन स्वीकृति को संदेहास्पद बना देता है । उक्त गवाह को अभियोजन स्वीकृति के लिये व बयान देने के लिये जिम्मेदार अधिकारी कलेक्टर के द्वारा अधिकृत किया हो, ऐसा भी पत्र पत्रावली पर नहीं है । इस प्रकार अभियोजन पक्ष के गवाहों के द्वारा अभियुक्त रामभरत को मौके पर हथियार कट्टा 315 बोर व कारतूस के साथ पकडना बताया है जो कि बेचने के लिये या खरीदने के लिये लेकर आया हो, यह संदेह से परे साबित करने में अभियोजन पक्ष असफल रहा है। अतः अभियोजन पक्ष अपने मामले को संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है । जबकि दाण्डिक विधि शास्त्र का यह सुनहरा सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष को अपने मामले को संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। अगर उसमें लैशमात्र भी संदेह रहता है तो उसका फायदा सदैव अभियुक्त प्राप्त करने का अधिकारी होता है। हस्तगत प्रकरण में भी उपरोक्त विवेचनानुसार अभियुक्त संदेह का लाभ प्राप्त कर आरोपित अपराधों में दोषमुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी है।

आदेश

23. फलस्वरुप अभियुक्त रामभरत पुत्र यशपाल निवासी गांव देवखेडा पुलिस थाना राजाखेडा जिला धौलपुर को धारा 3/25(6), 5/25, 3/25(1-बी)(ए) आर्म्स एक्ट के आरोपों से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त की न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत-मुचलके निरस्ते किये जाते हैं। अभियुक्त को अपीलीय न्यायालय में उपस्थित होने बाबत

धारा 437ए सीआरपीसी के छः माह की अवधि के लिये 25000/-रुपये की जमानत व इसी राशि का मुचलका प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित किया जाता है। प्रकरण में जब्तशुदा माल बाद गुजरने मियांद अपील नियमानुसार निस्तारण कर दिया जावे।

(राकेश गोयल)
(अतिरिक्त कार्यभार)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
धौलपुर (राज.)

24. निर्णय आज दिनांक 13.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व मुद्रांकित कर सुनाया गया।

(राकेश गोयल)
(अतिरिक्त कार्यभार)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
धौलपुर (राज.)